कार्यालय नगरपालिका परिषद् नागदा , जिला-उज्जैन (म0प्र0)पिनकोड- 456335
दूरभाषक्र0 07366- 241036,फेक्स– 07366-242600,ईमेल–cmonagda@mpurban.gov.in

क्रमांकःएफ- सा.सु.पे./2021/5568 दिनांकः 24/08/2021

दिव्यांगजन पुनर्वास स्थानीय निधि योजना नियम

नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 124 पृष्ठ क्रमांक 208 में अंकित (गग), पृष्ठ क्रमांक 209 में अंकित (डड), तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 24, 25, 26 एवं 27 में प्रदत शक्तियों के परिपालन में आगामी वित्तिय वर्ष में नगर पालिका परिषद नागदा जिला उज्जैन के द्वारा प्रशासक संकल्प क्र.374 दिनांक 14.07.2021 एवं संकल्प क्र 405, दिनांक 19/08/2021, के व्दारा "समर्थ" (दिव्यांगजन पुर्नवास स्थानिय निधि योजना नियम) के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पूनर्वास, बीमा, सहायक उपकरण, सुग्मयता, रोजगार, मनोरंजन, खेल, पर्यटन एवं जनजागरण तथा अन्य ऐसे सभी कार्य जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के परिपालन में वित्तीय प्रावधान किया गया है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाये जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उपरोक्त प्रावधानों को सुनिश्चित करने हेतु **समर्थ** दिव्यांगजन पुर्नवास स्थानीय निधि योजना दिनांक 15 अगस्त 2021 से नगर पालिका नागदा द्वारा लागू की जा रही है। योजना के नियम निम्नानुसार होंगे:-

1. योजना का नाम - समर्थ दिव्यांगजन पूनर्वास स्थानीय निधि योजना

2. उद्देष्य - दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, तथा दिव्यांगजन अधिकार मध्यप्रदेश नियम 2017 में दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पूनर्वास, बीमा, सहायक उपकरण, सुग्मयता, रोजगार, मनोरंजन, खेल, पर्यटन एवं जनजागरण तथा अन्य ऐसे सभी कार्य जो इन अधिनियम में स्थानीय निकायों के माध्यम से अपेक्षित है के परिपालन हेतु।

3. परिभाषाएं - विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं एवं उससे सम्बंधित परिभाषाएं उसी अर्थ में स्वीकार की जायेगी जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 तथा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में उल्लेखित है।

4. कार्यक्षेत्र - दिव्यांगजन पूनर्वास स्थानीय निधि योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण नगर पालिका नागदा का सीमा क्षेत्र होगा।

5. वित्तीय प्रावधान - नगर पालिका नागदा के बजट में प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार इस योजना हेतु वित्तीय प्रावधान किया जावेगा।

6. उपयोग - दिव्यांगजन पुनर्वास स्थानीय निधि योजना के अंतर्गत निधियों का उपयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जा सकेंगे -

i. दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु।

ii. दिव्यांगजनों के कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण की मरम्मत हेतु।

iii. दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य बीमा हेतु आवश्यक प्रीमियम के भुगतान हेतु।

iv. दिव्यांगजनों की गंभीर बीमारियों के उपचार तथा ऐसी शल्यक्रिया जिससे उनकी निशक्तता को कम या दूर किया जा सके, हेतु।

Scanned with CamScanner

v. दिव्यांगजनों की स्कूली एवं उच्च शिक्षा हेतु।

vi. दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक जागरूकता हेतु कार्यशाला, सेमिनार, प्रदर्शनी, कम अवधि के दिव्यांगजनों पुनर्वास से सम्बंधित पाठ्यक्रम के शुल्क प्रतिपुर्ती एवं इसी प्रकार के कार्यक्रमों हेतु।

vii. दिव्यांगजन हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु।

viii. दिव्यांगजनों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकुद, मनोरजंन, पर्यटन आदि के आयोजन हेतु।

ix. ऐसे दिव्यांग बच्चे जो अनाथ हो या जिनके माता-पिता उनका लालन पालन करने में असमर्थ हो, हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु।

x. आर्थिक रूप से कमजोर/तलाकशुदा/विधवा दिव्यांग महिलाओं के बच्चों की शिक्षा हेतु।

xi. प्राकृतिक आपदा एवं महामारी के समक्ष दिव्यांगों के राशन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु।

xii. दिव्यांग पुर्नवास की पंजीकृत संस्थाओं द्वारा दिव्यांगजनों हितार्थ आयोजित कार्यक्रमों हेतु।

xiii. हाई सर्पोट नीड के दिव्यांगों को केयर गिवर भत्ता (सहयोगी) उपलब्ध कराने हेतु।

xiv. दिव्यांगजनों के सर्वे, प्रमाण पत्र, युडीआईडी कार्ड, स्वास्थ्य परिक्षण, सहायक उपकरण वितरण आदि कार्यक्रमों में होने वाले प्रबंधकीय खर्च हेतु।

xv. दिव्यांगजनों हेतु कार्यरत पंजीकृत संस्थाओ में सुगम्य भारत अभियान के तहत बाधा रहित वातावरण तैयार करने हेतु जन भागीदारी आधार पर रेम्प, रेलिंग, लिफ्ट,टेकटाइल टाइल्स आदि कार्यों हेतु

xvi. ऐसे सभी कार्य जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में स्थानीय निकायों के माध्यम से अपेक्षित है के परिपालन हेतु ।

7. दिव्यांग व्यक्ति हेतु पात्रता शर्तें -

i. नगर पालिका नागदा सीमा क्षेत्र का निवासी हो।

ii. 40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता हो।

iii. समस्त स्रोतों से स्वयं अथवा अभिभावक की आय 15000/- रूपये प्रतिमाह से अधिक न हो।

iv. विगत 3 वर्षों में समान प्रयोजन हेतु इस योजना से किसी प्रकार का लाभ नहीं लिया हो किन्तु बीमा प्रीमियम एवं गंभीर बीमारी के उपचार हेतु उपरोक्त शर्त लागू नहीं होगी। 12 वर्ष से कम आयु वाले दिव्यांग हेतु यह समय सीमा 1 वर्ष होगी।

8. गैर शासकीय संस्था हेतु पात्रता शर्तें -

i. संस्था मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1971 अथवा ट्रस्ट अधिनियम अथवा अलाभकारी कम्पनी की श्रेणी में पंजीकृत हो।

ii. संस्था दिव्यांगजन अधिकार अनिनियम 2016 के अंतर्गत पंजीकृत हो।

iii. संस्था विगत तीन वर्षों से दिव्यांगजनों के पुर्नवास हेतु कार्यरत हो।

Scanned with CamScanner

iv. संस्था अथवा संस्था के पदाधिकारी को किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के द्वारा ब्लेक लिस्ट न किया गया हो।

9. सहायता राशि -

i. **व्यक्तिगत सहायता** - व्यक्तिगत सहायता के प्रकरण में सहायता राशि 15000/- रूपये होगी किन्तु राज्य सरकार/भारत सरकार के किसी उपक्रम के माध्यम से सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग प्रदाय या उसकी मरम्मत हेतु उपरोक्त सीमा का बंधन नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में व्यक्तिगत सहायता की राशि 25000/- रूपये से अधिक नहीं होगी।

ii. **संस्थागत सहायता** - दिव्यांगजन पुर्नवास के क्षेत्र में कार्यरत गैर शासकीय संस्थाओं के माध्यम से कार्य करवाने की स्थिति में एक कार्यक्रम हेतु अधिकतम 1.5 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की जा सकेगी। किसी भी एक संस्था को वर्ष में तीन कार्यक्रम से अधिक की वित्तीय सहायता इस योजनातर्गत नहीं दी जावेगी। बृहद कार्यक्रमों हेतु वित्तीय सहायता के लिए दिव्यांगों की न्यूनतम संख्या हेतु स्वीकृत राशि को प्रति दिव्यांग 2500/- रूपये के मान से सुनिश्चित की जावेगी। (उदाहरण के लिए किसी कार्यक्रम हेतु 1.0 लाख रूपये स्वीकृत होने की दशा में न्यूनतम 40 दिव्यांगों की प्रतिभागिता आवश्यक होगी।) संस्थागत वित्तीय सहायता कार्यक्रम बजट के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। 25 प्रतिशत राशि संस्था को स्वयं वहन करना अनिवार्य होगा।

10. आवश्यक दस्तावेज -

i. **व्यक्तिगत सहायता -**

a. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन

b. मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र/युडीआईडी कार्ड

c. आधार कार्ड

d. निवास का प्रमाण

e. आय का प्रमाण पत्र/बीपीएल/अंत्योदय कार्ड

f. दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ

g. समग्र आईडी

h. जिस कार्य हेतु वित्तीय सहायता चाही गई है उसके खर्च का सम्बंधित संस्था द्वारा प्राक्कलन

ii. **संस्थागत सहायता -**

a. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन

b. जिस कार्यक्रम हेतु वित्तीय सहायता चाही गई है उसकी विस्तृत कार्य योजना जिसमें समयावधि, मदवार बजट एवं संस्था द्वारा 25 प्रतिशत वहन की जाने वाली राशि के स्रोत का विवरण दिया गया हो।

c. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।

d. नीति आयोग में पंजीयन की प्रति।

Scanned with CamScanner

e. संस्था के ज्ञापन, नियमावली एवं पेनकार्ड की प्रति

f. संस्था के पदाधिकारियों की आधार नम्बर, पेन नम्बर, मोबाईल नम्बर एवं पते सहित सूची।

g. संस्था के विगत 2 वर्षों का वार्षिक प्रतिवेदन

h. संस्था के अध्यक्ष/सचिव द्वारा संस्था/पदाधिकारियों को ब्लेक लिस्ट न किये जाने सम्बंधित घोशणा पत्र

11. स्वीकृति प्रक्रिया -

व्यक्तिगत/संस्थागत आवेदन समस्त संलग्नको के साथ नगर पालिका परिषद नागदा को प्रेषित करना होगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा आवेदन की जांच कर आवश्यक दस्तावेजों की कमी पूर्ति करने के उपरान्त अनुसंशा सहित नगर पालिका अध्यक्ष/प्रशासक/ प्रेसिडेंट इन कौंसिल को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावेगा। आवेदन को अस्वीकृत करने की स्थिति में कारण का स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा।

12. भुगतान प्रक्रिया -

i. कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण क्रय/मरम्मत का कार्य भारत सरकार के उपक्रम भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम से करवाकर सीधे उसके खाते में भुगतान किया जावेगा। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के पास सहायक उपकरण की अनुपलब्धता / मरम्मत में असमर्थता व्यक्त होने पर उपरोक्त कार्य समान प्रकृति का कार्य करने वाली अन्य किसी संस्था से कराये जाने पर उसके बैंक खाते में भुगतान किया जावेगा |

ii. स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के प्रकरणों में भुगतान राज्य अथवा केन्द्र सरकार के संस्थान जिनके माध्यम से बीमा योजना लागू है के खाते में सीधे किया जायेगा।

iii. शिक्षा सहायता हेतु भुगतान संबंधित शैक्षेणिक संस्थान को किया जायेगा।

iv. बीमारी सहायता हेतु भुगतान अस्पताल को किया जायेगा।

v. संस्थागत वितीय सहायता हेतु भुगतान संस्था के खाते में किया जायेगा तथा कार्य पूर्ण होने पर उसका सीए से प्रमाणित कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र लिया जायेगा। कार्यक्रम हेतु संस्था को प्राक्ल्लन की अधिकतम 50 प्रतिशत राशि अग्रिम के रूप में दी जा सकेगी | संस्था द्वारा कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र नहीं देने पर नगर पालिका परिषद द्वारा संस्था को प्रदान की गई राशि पुनः प्राप्त करने का अधिकार होगा।

13. योजना की समीक्षा -

नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा प्रत्येक 3 वर्षों में योजना की समीक्षा दिव्यान्गता के क्षेत्र में कार्य कर रही पंजीकृत संस्था से करवाया जावेगा और अनुसंशाओं के आधार पर योजना के नियमों में अध्यक्ष/प्रशासक/ प्रेसिडेंट इन कौंसिल के अनुमोदन से परिवर्तन किया जा सकेगा। समीक्षा नहीं होने की स्थिति में वितीय वर्ष 2021-22 को आधार वर्ष मानकर दी जाने वाली वितीय सहायता की अधिकतम सीमा में प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात मूल्यवृद्धि सूचकांक के आधार पर उसी अनुपात में स्वतः वृद्धि लागू होगी।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, नागदा

Scanned with CamScanner